प्रेस विज्ञप्ति
16.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 15.07.2026 को चेन्नई स्थित मेसर्स नंदलाला एंटरप्राइजेज, मेसर्स राम हेयर इम्पेक्स तथा उनके स्वामियों से संबंधित 03 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

फेमा के अंतर्गत जांच उस समय प्रारंभ की गई जब चेन्नई हवाई अड्डे पर एक विदेशी नागरिक के पास से लगभग 1.15 करोड़ रुपये के समतुल्य अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) नकद रूप में बरामद किए गए। उक्त विदेशी नागरिक बैंकिंग माध्यमों से बचने के उद्देश्य से यह विदेशी मुद्रा नकद रूप में लेकर जा रहा था। सेनेगल का यह नागरिक मुंबई के माध्यम से भारत आया था, किंतु उसने अपने साथ लाई गई विदेशी मुद्रा की घोषणा नहीं की थी। वह मुंबई से चेन्नई पहुंचा, जहां उसके पास से उक्त विदेशी मुद्रा बरामद की गई। ईडी द्वारा की गई पूछताछ में वह इस विदेशी मुद्रा/अमेरिकी डॉलर के अधिकृत स्रोतों से प्राप्त होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। तदनुसार, ईडी ने लगभग 1.15 करोड़ रुपये के समतुल्य अमेरिकी डॉलर जब्त कर लिए।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि पकड़ा गया विदेशी नागरिक पिछले 2-3 वर्षों से प्रत्येक दो माह में नियमित रूप से भारत आ रहा था तथा फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विदेशी मुद्रा लाकर मेसर्स नंदलाला एंटरप्राइजेज तथा मेसर्स राम हेयर इम्पेक्स को भुगतान करता था। दोनों संस्थाएं चेन्नई स्थित हैं तथा मानव केश के क्रय, प्रसंस्करण एवं अफ्रीकी देशों सहित विभिन्न विदेशी ग्राहकों को निर्यात करने के व्यवसाय में संलग्न हैं।

ईडी द्वारा की गई तलाशी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज एवं डिजिटल अभिलेख बरामद हुए, जिनसे फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विदेशी मुद्रा नकद के रूप में निर्यात प्राप्तियों की प्राप्ति, विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापारिक लेन-देन को सुगम बनाने के लिए दुबई स्थित विदेशी संस्थाओं का उपयोग, हवाला लेन-देन से संबंधित संचार तथा फेमा के उल्लंघन में विदेशी मुद्रा के रूप में 50 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली से संबंधित अभिलेखों का पता चला। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक है। तलाशी के दौरान 5.39 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 16,823 अमेरिकी डॉलर (यूएसडी), 1,860 यूरो, डिजिटल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तथा फेमा के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।